

**संचालनालय, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी ,
सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष), छत्तीसगढ़, रायपुर**
बी.एच.एम.एस./बी.एन.वाय.एस./बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम सत्र 2015-16 में प्रवेश हेतु
—: गैर मूल निवासी (अन्य प्रदेश के) प्रवेशार्थियों हेतु काउंसिलिंग सूचना :-

काउंसिलिंग स्थल :- शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, जी.ई.रोड, रायपुर (छ.ग.)

बी.एच.एम.एस./बी.एन.वाय.एस./बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम, सत्र 2015-16 में अंतिम चरण के काउंसिलिंग उपरांत रिक्त रही सीटों पर प्रवेश के लिए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा 2015 में सम्मिलित गैर मूल निवासी (अन्य प्रदेश के) प्रवेशार्थियों को काउंसिलिंग हेतु आमंत्रित किया जाता है। ऐसे उम्मीदवार जिनका प्रकाशित मेरिट सूची में न्यूनतम 60 प्राप्तांक है वे इस सूचना के आधार पर काउंसिलिंग में अवसर (चान्स) लेने हेतु दिनांक 25.10.2015 को प्रातः 10.00 बजे से 12.00 बजे तक उपस्थित हो सकते हैं। निजी क्षेत्र के आयुष महाविद्यालयों में रिक्तियां निम्नानुसार है :-

1. सी.एल.चौकसे मेमो. होम्योपैथी मेडि.कालेज, बिलासपुर 13
2. श्रीमहावीर प्राकृतिक एवं योगविज्ञान महा., नगपुरा, दुर्ग 10
3. मोहसीने मिल्लत यूनानी मेडिकल कालेज रायपुर 06

टीप - रिक्त सीटों एवं महाविद्यालयों की संख्या में परिवर्तन सम्भावित है।


सभी उम्मीदवार निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ उक्त निर्धारित स्थान, तिथि एवं समय पर अनिवार्य रूप से उपस्थित हों, ऐसा न करने पर वे प्रवेश का अवसर खो देंगे :-

1. व्यापम प्रवेश परीक्षा-2015 की अंकसूची।
2. 10 वीं एवं 12 वीं की मूल अंकसूची एवं प्रमाण-पत्र।
3. अभ्यर्थियों को चिकित्सकीय उपयुक्तता सिद्ध करने के लिये प्रवेश प्राप्त करने के पूर्व सिविल सर्जन द्वारा प्रदत्त चिकित्सकीय उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. उपरोक्त दस्तावेजों की अभिप्रमाणित छायाप्रतियों के तीन सेट एवं दो पासपोर्ट साईज फोटो भी साथ लावें।
5. निम्नानुसार काउंसिलिंग शुल्क रु.500/- नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जमा करना होगा, जो वापसी योग्य नहीं है।

7. शैक्षणिक शुल्क :-

- (1) काउंसिलिंग के समय काउंसिलिंग/शैक्षणिक शुल्क की राशि नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट /बैंकर्स चेक के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा, जो "प्राचार्य, शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)" या "Principal, Government Autonomous Ayurvedic College, Raipur (C.G.)" के नाम पर किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का बना हो, एकाउंटपेयी हो तथा रायपुर में देय हो।
- (2) काउंसिलिंग के समय शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर का शुल्क - सामान्य /ओ.बी.सी.के लिए रु. 8,635/- तथा अनुसूचित जाति /जनजाति के लिए रु. 3,235/- जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा अभ्यर्थी चयन का अवसर खो देगा।
- (3) काउंसिलिंग के समय प्रदेश के निजी क्षेत्र के आयुर्वेद महाविद्यालय, दुर्ग/राजनांदगांव के शुल्क का 50 प्रतिशत रु. 51,700/- जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा अभ्यर्थी चयन का अवसर खो देगा।
- (4) काउंसिलिंग के समय प्रदेश के निजी क्षेत्र के छदामी लाल चौकसे मेमो. होम्योपैथी चिकि. महाविद्यालय बिलासपुर के शुल्क का 50 प्रतिशत रु. 25,900/-, रायपुर होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के शुल्क का 50 प्रतिशत रु. 25,400/-, महाराणा प्रताप होम्योपैथी मेडि.कालेज, न्यु राजेन्द्र नगर, रायपुर के शुल्क का 50 प्रतिशत रु. 23,850/-, प्राकृतिक एवं योग विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय, नगपुरा, दुर्ग के शुल्क का 50 प्रतिशत रु. 26,400/- तथा मोहसीने मिल्लत यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के शुल्क का 50 प्रतिशत रु. 27,000/- जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा अभ्यर्थी चयन का अवसर खो देगा।
- (5) शुल्क की शेष राशि अभ्यर्थी को प्रवेश के समय महाविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

- नोट :- (1) यदि कोई सेमेस्टर एक वर्ष छः माह का है तो अभ्यर्थी से आनुपातिक एक वर्ष छः माह का शुल्क लिया जावेगा ।
- (2) महाराणा प्रताप होम्योपैथी मेडिकल कालेज द्वारा ली गई अंतरिम शुल्क एवं निर्धारित अंतिम शुल्क में अन्तर की राशि छात्र द्वारा/संस्था द्वारा जैसा भी प्रकरण हो संस्था को/छात्र को वापस देय होगा । इस संबंध में वचनपत्र लिया जावेगा कि प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति द्वारा शुल्क निर्धारित किए जाने के बाद तदनुसार शुल्क का समायोजन अंतिम रूप से किया जावेगा ।
- (3) सीटों का विस्तृत विवरण काउंसिलिंग स्थल पर काउंसिलिंग के समय चर्चा किया जावेगा ।


संचालक द्वा. ७४
आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी,
सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) छत्तीसगढ़

